FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

सीमराम बनाम जमुदान [illegible]

किस्म मुकदमा रा० आ० 136 RTRA नं. 6/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/2/15	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रेवाछाराम मिश्रा ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/3/15 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/03/15	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील [illegible] तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने का पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः [illegible] हेतु पत्रावली [illegible] दिनांक 20/04/15 को पेश हो।	
20/04/15	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 का नोटिस [illegible] तामील शुदा प्राप्त हो चुका है जिसकी ओर से वकील श्री [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 2[illegible]/05/15 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

27/05/15 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप०। प्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होगा आगामी दिनांक 28/09/15 को पेश हो।

28/09/15 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप०। मौका रिपोर्ट के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौका रिपोर्ट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 24/11/15 को पेश हो।

24/11/15 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 20/01/16 को पेश हो।

20/01/16 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 27/04/16 को पेश हो।

27/04/16 पत्रावली पेश हुई।
वकुलाभ फरीकेन उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी अवकाश में है।
अतः पत्रावली इल्तवा होकर
दिनांक 23/05/16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/05/16	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट खाराफार में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी व अप्रार्थीगणों ने नोटिस तामील करने से इन्कार किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि पीठासीन अधिकारी इनके ज्येष्ठ भ्राता के देहावसान हो जाने के कारण अवकाश पर हैं अतः उनके दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में दूरभाष पर दिये निर्देशानुसार उक्त पत्रावली संतरा कैम्प में सभी पक्षकारान वकुलाय को सूचित होकर दिनांक 11/06/16 को पेश हो।	
11/06/16	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त ~~नहीं हुई~~ हो जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/09/16 को पेश हो।	
19/09/16	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौका रिपोर्ट पर बहस करना चाहते हैं। अवसर दिया जावे पत्रावली आइन्दा दिनांक 04/10/16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO)	

Scanned by CamScanner

रा० आवेदन - 06/15

04/10/16

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21.11.16 को पेश हो।

21/11/16

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के वकील बहस फाईनल करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/12/16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

20/12/16

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार गिड़ा के कोई किसी प्रकार के हस्ताक्षर व अभिशंषा नहीं होने के कारण यह ही मौका रिपोर्ट पुन: लौटाकर लेख है कि आप अपने हस्ताक्षर मय स्पष्ट अभिशंषा के पुन: भिजवावें, अत: मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली फाईनल दिनांक 04/01/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

04/01/17

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट पुन: प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूची (सिविल फेहरिस्त) नकल विभाजन प्रस्ताव व नक्शा रा० वाद 77/93 जमुदान v/s देवदान वगैरा व फर्द मौका प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 के वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पुन: तहसीलदार से मंगवाने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार गिड़ा को

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

रा० आवेदन - 6/15

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कमिश्नर नियुक्त किया गया था, परन्तु मौका रिपोर्ट तहसीलदार की देख रेख में तैयार नहीं की गई मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार गिड़ा के काउन्टर हस्ताक्षर किये गये है। इसलिए मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं के द्वारा दोनों पक्षों के रूबरू मंगवाई जावे। मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रार्थना-पत्र पर न ही विप्रार्थीगण स्वयं के तथा न ही विप्रार्थी अधिवक्ता के हस्ताक्षर है इसलिए विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रार्थना-पत्र को खारिज फरमाया जावे। लिहाजा विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के प्रार्थना-पत्र पर विप्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं होने से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना-पत्र को खारिज किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, व पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात तथा प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी के मध्य स्वयं में किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पाबोलाई पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

रा० अा० 6/15

162/1 रकबा- 18.17 बीघा की तरमीम न की जाकर भिन्न की गई है। तथा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीम न की जाकर भिन्न की गई है।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पाबोलाई पटवार मण्डल खाराधार तहसील- गिड़ा के खेत खसरा नम्बर-162/1 रकबा- 18.17 बीघा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम बिन्दु संख्या A, B, C, D के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा को तहरीर जाती है, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु